आदेश दिनांक 5-8-19 पारित द्वारा श्री इकबाल सिंह बैंस अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक विविध-0770/2019/नरसिंहपुर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 12-11-18 पारित द्वारा अपर कलेक्टर नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 117/ब-121/2017-18 (पूनर्विलोकन की अनुमति क्रमांक 5686 / प्र.कले. /2018 दिनांक 4-6-19 बाबत)

मध्यप्रदेश शासन ....आवेदक

विरूद्ध

वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय आ. श्री रोहिणी प्रसाद पाण्डेय
निवासी- निर्मल नगर बालाघाट ....अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 0770/2019/नरसिंहपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । न्यायालय कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 5686/प्र.कले./2018 दिनांक 4 जून, 2019 का अवलोकन किया गया । इस पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 117/ब-121/2017-18 में तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय आत्मज श्री रोहिणी प्रसाद पाण्डेय, निवासी निर्मल नगर, बालाघाट के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश के विरूद्ध वीरन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा कलेक्टर न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर, नरसिंहपुर की ओर से लिखे पत्र में डिप्टी कलेक्टर ने पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने का कोई भी आधार उल्लेखित नहीं किया है, जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट हो कि पुनर्विलोकन की अनुमति क्यों आवश्यक है । इस प्रकार अस्पष्ट तथा अधूरे प्रस्ताव के आधार पर पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है । अतः कलेक्टर द्वारा भेजा गया पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है । जिला कलेक्टर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में इस प्रकार के गैरजिम्मेदाराना प्रस्ताव न भेजें । इस आदेश की प्रति आयुक्त, जबलपुर संभाग को भेजी जाये ताकि वह अवगत हों एक राजस्व न्यायालय किस गैरजिम्मेदारी के साथ राजस्व मण्डल से पत्राचार कर रहे हैं। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष	